



स्व हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 245/2012 अनवान केवलराम बनाम तहसीलदार बाडमेर	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23.05.2018	<p>राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार-2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान अटल सेवा केन्द्र विशाला पर जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 23.05.2018 को अटल सेवा केन्द्र विशाला पर पत्रावली पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी, (एसडीओ) बाडमेर</p> <p>यह पत्रावली बमुकाम अटल सेवा केन्द्र विशाला पर पेश हुई। प्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार बाडमेर उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 02 सरपंच ग्राम पंचायत विशाला भी उपस्थित। प्रार्थीगण ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अंकित किया है कि प्रार्थीगण ग्राम पंचायत विशाला की आबादी भूमि के खसरा नम्बर 963/575 रकबा 21.00 बीघा गै.मु. आबादी भूमि में रहते हैं। प्रार्थीगण का आबादी भूमि में निवास है। प्रार्थीगण ने अपने कब्जे वाली भूमि को आवेदन के संलग्न नक्शा में बरंग हरा से दर्शाया है। प्रार्थीगण के कब्जे वाली भूमि के पास राजकीय माध्यमिक विद्यालय की 12.00 बीघा भूमि भी स्थिति है, जिसे नक्शा में बरंग आसमानी से दर्शाया है। उक्त भूमि राजकीय माध्यमिक विद्यालय को खेलकूद मैदान हेतु आवंटित है। उक्त भूमि की तरमीम लट्ठा ट्रेस में मौके के अनुसार नहीं करने पर अप्रार्थी संख्या 02 सरपंच ग्राम पंचायत विशाला द्वारा प्रार्थीगण को बेदखल करने पर उतारू है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर प्रार्थीगण की कब्जे वाली भूमि की तरमीम मौके के अनुसार लट्ठा ट्रेस में किये जाने का आदेश प्रदान करावें।</p> <p>प्रकरण पंजीयन कर अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु सम्मन जारी किये गये एवं प्रार्थीगण के कब्जे वाली भूमि में मौके की यथा स्थिति बनाये रखे जाने हेतु प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 07.09.2012 को जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 02 सरपंच ग्राम पंचायत विशाला ने अपने जवाब में अंकित किया है कि राजकीय</p>	




उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

तारीख हुकम

हुकम कार्यवाही गय इनिशियल्स जज
राजस्व आवेदन संख्या 245/2012 अगवान केवलराम बनाम तहसीलदार बाडमेर

माध्यमिक विद्यालय विशाला के खेलकूद मैदान हेतु खसरा नम्बर 960/575 रकबा 12.00 बीघा भूमि आवंटन की गई थी, जिस पर प्रार्थीगण का अतिक्रमण है। ग्राम पंचायत विशाला द्वारा उक्त अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालय हेतु आवंटित भूमि पर ग्राम पंचायत विशाला द्वारा चार दिवारी का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें प्रार्थीगण बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ग्राम पंचायत विशाला की आबादी भूमि खसरा नम्बर 963/575 रकबा 21.00 बीघा में प्रार्थीगण की कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है और न ही उनका कब्जा है। विद्यालय के खेलकूद के मैदान हेतु आवंटित भूमि की तरमीम सही की गई है, जिसे संशोधन करवाये जाने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निराधार होने से निरस्त किया जावे एवं न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश को भी निरस्त फरमावे।

तहसीलदार बाडमेर से वादग्रस्त भूमि के बारे में मौका प्रतिवेदन तलब किया गया। तहसीलदार बाडमेर ने शिविर में मौका प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें स्पष्ट अंकित किया गया है कि विद्यालय के मैदान हेतु आवंटित भूमि पर शिक्षा विभाग द्वारा कब्जा नहीं करने पर ग्रामीणों द्वारा आबादी भूमि से लगती भूमि पर अतिक्रमण किया गया। विद्यालय के खेलकूद मैदान हेतु आवंटित खसरा नम्बर 960/575 है जो राजस्व अभिलेख में विद्यालय के खेल मैदान हेतु रेकॉर्ड में अंकित है। प्रार्थीगण द्वारा ओरण भूमि की तरमीम अपने पक्ष में चाही है, जो राज्य सरकार द्वारा ऐसी भूमियां प्रतिबन्धित श्रेणी में आने से प्रार्थीगण के पक्ष में तरमीम किया जाना निषेध है।


उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार बाडमेर के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा तरमीम दुरुस्त हेतु प्रस्तावित भूमि मौके पर गै.मु. ओरण भूमि है। ओरण भूमि में किसी के भी पक्ष में भूमि का आवंटन एवं तरमीम संशोधन कराने का कोई प्रावधान नियमों में नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन सारहीन एवं निराधार होने से निरस्त किया जाता है एवं इस प्रकरण में दिनांक 07.09.2012 को



उप हुकम अधिकारी
बाडमेर

जो पारितोषिक हुकम



<p>हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 245/2012 अनवान केवलराम बनाम तहसीलदार बाडमेर</p>	<p>नम्बर 4 ताशेखअहकाम जो इस हुकम की तामील म जारी हुए</p>
<p>जारी अस्थाई निषेधाज्ञा भी निरस्त की जाती है। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी, (एसडीओ) बाडमेर</p>	